राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/~~पीबी-64~~/2000/2227

दिनांक : 20.06.2000

<u>भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ</u>

आदेश

किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती, उत्तर प्रदेश ने मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 30 सीटों की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 14.2.2000 को आवेदन किया था।

समिति कार्यालय द्वारा सत्र 2000-2001 से अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 29 अप्रेल, 2000 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा उप-समिति द्वारा अनुमोदित एजेन्डा नोट की प्रति उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 12-13 अप्रेल, 2000 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था में पूर्व से कार्यरत 50 सीटों के लिए ही अभी तक परिषद् मानदंडों के अनुसार बहुत-सी कमियां हैं तथा नई संस्था को 50 सीटों की स्थाई मान्यता प्रदान की गई है। संस्था में पाई गई कमियाँ न तो विद्यार्थियों के हित में हैं और न ही शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के हित में हैं अतः ऐसी स्थिति में संस्था को अतिरिक्त सीटें नहीं दी जा सकती हैं। समिति के निर्णयानुसार संस्था को परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 26.4.2000 को नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 23.5.2000 के द्वारा दिया। संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की 8-9 जून, 2000 को सम्पन्न हुई 26 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए। समिति ने प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता निम्नांकित कमियों को अस्वीकार कर दिया जाए।

क्रसं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को अतिरिक्त 30 सीटों के लिए मानदंडों के पैरा 2.2 के अनुसार निर्धारित योग्यता के तीन प्रवक्ता चाहिए जिन्हें राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतनमान देने में संस्था ने असमर्थता प्रकट की है। अतः परिषद् मानदंडों के पैरा 2.2 और 5.3 की पूर्ति नहीं होती है।
2	संस्था में अभी बहुउद्देशीय प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय का निर्माण कार्य अधूरा है जिसका कार्य सितंबर 2000 के बाद पूरा होगा। चूंकि वर्तमान सीटों में ही अभी यह कमी है अतः अतिरिक्त सीटें नहीं दी जा सकती हैं।
3	संस्था के पास मानदंडों के पैरा 3.5.4 के अनुसार कार्यरत पाठ्यक्रमों के लिए ही 983 पुस्तकों की कमी है जिसे दो-तीन वर्षों में पूरा करने का आश्वासन दिया है। अतः यह भी कमी है।

-2-

4	शैक्षिक स्टाफ व प्रशासनिक स्टाफ को जून, 99 से वेतन नहीं दिया गया अतः वित्तीय संकट है।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती, उत्तर प्रदेश द्वारा ... हेतु बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में पाई गई उपरोक्त कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें । यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष अपील कर सकती है । अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं । इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है ।

आज्ञा से

(डॉ0 एस.एन. मेठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स ,दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1) शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ
2) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
3) कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय
4) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5) प्राचार्य, किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती, उत्तर प्रदेश
6) कम्प्यूटर फाइल (उक्षेस)

क्षेत्रीय निदेशक